मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय

कमांक 4152 /2450/2012/2/34 भोपाल,दिनांक 27 SEP 2012

प्रति,

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
म.प्र. भोपाल ।

विषयः— लोक निर्माण विभाग मे अव्यवहारिक (unworkable) निविदा प्राप्त होने पर की जाने वाली कार्यवाही ।

संदर्भः— आपका पत्र कं 9156/रूपां/प्र.अ./लो.स्वा.या.वि./12 दि. 23.8.2012

———

राज्य शासन एतद् द्वारा विभाग में निविदाकारो द्वारा अव्यवहारिक दरे देने की प्रवृति पर अंकुश लगाने एवं निर्माण कार्य अच्छी गुणवत्ता के समयसीमा में सम्पादन हेतु लोक निर्माण विभाग का आदेश कं एफ–53/2/2011/यो/19/5788 दिनांक 25.10.2011 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है ।

लोक निर्माण विभाग के उक्त आदेश मे दिये गये निर्देशो का पालन सुनिश्चित किया जाये ।

संलग्नः— लो0नि0वि0 का आदेश।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी0सी0 चौधरी)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ0क0 4153 /2450/2012/2/34 भोपाल,दिनांक 27 SEP 2012

1. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिक्षेत्र ————
2. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ———— मण्डल————
3 कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड ————

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

Pramanik

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय: वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक: एफ–53/2/2011/यो/19/5786 भोपाल, दिनांक 25-10-11

विषय:— लोक निर्माण विभाग में अव्यवहारिक (unworkable) निविदा प्राप्त होने पर की जाने वाली कार्यवाही

// आदेश //

प्रतिशत दर पर आधारित निविदाओं (प्रपत्र 'अ') एवं आयटम रेट पर आधारित निविदाओं (प्रपत्र 'ब' एवं केन्द्रीय सड़क निधि के लिए एस.बी.डी. प्रपत्र) में निविदाकारों द्वारा अव्यवहारिक दर (unworkable rates) देने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए अतिरिक्त परफारमेंस गॉरन्टी (additional performance gaurantee) लिये जाने हेतु निम्न मार्गदर्शी सिद्धान्त अतिरिक्त विशेष शर्त (Additional Special Conditaion) के रूप में जारी किये जाते हैं :

(i) लागू एस.ओ.आर. की तुलना में प्राप्त न्यूनतम निविदा दरें (एल–1) दस प्रतिशत से अधिक नीचे (more than ten persent below) होने पर निविदा दर को अव्यवहारिक दर (unworkable rates) माना जावेगा । यह सिद्धान्त प्रतिशत दरों पर आधारित निविदा (प्रपत्र अ) एवं आयटम रेट पर आधारित (प्रपत्र ब एवं केन्द्रीय सड़क निधि के लिए निर्धारित एस.बी.डी.) निविदाओं पर लागू होगा । आयटम रेट निविदाओं के लिए एस.ओ.आर. पर निविदा लागत की तुलना में प्राप्त न्यूनतम निविदा राशि (ऑफर) के प्रतिशत को निविदा प्रतिशत माना जावे । अव्यवहारिक दरें (unworkable rates) प्राप्त होने पर सफलतम निविदाकार (L1) से प्राप्त निविदा राशि (agreemented amount) एवं एस.ओ. आर. से दस प्रतिशत कम की निविदा राशि (Cost of PAC @ 10 percent

below SOR) के अन्तर की अतिरिक्त परफारमेंस गॉरन्टी (additional performance gaurantee) लिया जावे ।

(ii) उपरोक्तानुसार अव्यवहारिक दरों (unworkable rates) हेतु अतिरिक्त परफारमेंस गॉरन्टी (additional performance gaurantee) लिये जाने की सूचना निविदा स्वीकृति की सूचना (letter of acceptance) के साथ ही दी जावे एवं यह उसी प्रारूप में लिया जावे, जिस प्रारूप में अरनेस्ट मनी / निविदा की परफारमेंस गॉरन्टी (earnest money / contract performance gaurantee) ली जाती है ।

(ii) उपरोक्तानुसार अव्यवहारिक दरों (unworkable rates) के लिए अतिरिक्त परफारमेंस गॉरन्टी (additional performance gaurantee) लेने के उपरान्त ही अनुबन्ध निष्पादित किया जावे।

(iv) उपरोक्तानुसार अव्यवहारिक दरों (unworkable rates) के लिए ली गई अतिरिक्त परफॉरमेंस गॉरन्टी (additional performance gaurantee) कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र (completion certificate) जारी होने के पश्चात् ही वापस किया जावे ।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है एवं इसे जारी दिनांक के पश्चात आमंत्रित सभी निविदाओं में अतिरिक्त विशेष शर्त के रूप में जोड़ा जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

24-10-11

(विजय सिंह वर्मा)
सचिव,
म.प्र.शासन, लो.नि.वि.

पृ0 क्रमांक एफ–53/2/2011/यो/19/5789 भोपाल, दिनांक 25-10-11

प्रतिलिपिः–1. निज सचिव, मा0 मंत्रीजी, लोक निर्माण विभाग, म.प्र.शासन,भोपाल

2. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल

3. समस्त मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश

4. समस्त अधीक्षण यंत्री, मण्डल कार्यालय, लो.नि.वि., मध्यप्रदेश

5. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(क्रमांक 1 को छोड़कर)

25-10-11

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक निर्माण विभाग